



विश्व दिव्यांग दिवस

3 दिसम्बर, 2017



सन्देश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि **“विश्व दिव्यांग दिवस” 3 दिसम्बर, 2017** के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रतिभावान दिव्यांगजन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित कर प्रदेश के सभी दिव्यांगजन में अन्तर्निहित विशिष्ट प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया जा रहा है। यह निर्विवाद है कि प्रत्येक दिव्यांगजन में किसी न किसी प्रकार की विशेष प्रतिभा विद्यमान होती है, आवश्यकता है कि उनकी इच्छाशक्ति को जागृत कर उनके आत्मविश्वास को दृढ़ करते हुए उनकी प्रतिभा को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।



आप सभी सहमत होंगे कि दिव्यांगता के कारण जीवन में कठिनाई अवश्य आती है, किन्तु दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमारी सरकार दिव्यांगजन के प्रति मिथ्या सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति की भावना रखती है एवं उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति विकसित करने के लिए प्रयासरत है तथा दिव्यांगजन में विद्यमान विशिष्ट प्रतिभा को निखारने के लिए कृत संकल्प है।

इस अवसर पर सम्मानित हो रहे प्रतिभावान व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मैं बधाई देता हूँ एवं प्रदेश के सभी दिव्यांगजन से अपेक्षा करता हूँ कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा सम्मानजनक जीवन-यापन करते हुए राज्य के विकास में भी भागीदार बनें।

मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि दिव्यांगजन को प्रदेश के विकास में भागीदारी हेतु समान अवसर एवं सहयोग प्रदान करें।

आयोजन की सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सन्देश

हर्ष का विषय है कि **“विश्व दिव्यांग दिवस” 3 दिसम्बर, 2017** के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा विशिष्ट प्रतिभा के धनी दिव्यांगजन उनके सेवायोजकों एवं दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष एवं संस्थाओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा रहा है। दिव्यांगता प्रायः जन्म से, परिस्थितिजन्य अथवा दुर्घटना के कारण होती है। सर्वविदित है कि समाज में दिव्यांगजन की स्थिति सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होती है। हमारी सरकार का संकल्प है कि समाज के प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति की क्षमता को विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।

यह सर्वविदित है कि प्रत्येक दिव्यांगजन में किसी न किसी प्रकार की विशेष प्रतिभा विद्यमान होती है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन-यापन कर सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम व योजनाओं के संचालन के साथ-साथ दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास तथा शैक्षिक, आर्थिक एवं भौतिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु निःशक्तजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्राविधानों को लागू किया जा रहा है।

इस अवसर पर सम्मानित हो रहे प्रतिभावान व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मैं बधाई देता हूँ एवं प्रदेश के सभी दिव्यांगजन से अपेक्षा करता हूँ कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा सम्मानजनक जीवन-यापन करते हुए राज्य के विकास में भी भागीदार बनें।

मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि दिव्यांगजन को प्रदेश के विकास में भागीदारी हेतु समान अवसर एवं सहयोग प्रदान करें।

ओम प्रकाश राजभर

मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

दिव्यांगजन के विकास हेतु संचालित योजनाएं

- दिव्यांग जन हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन योजना)।
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना।
- दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार।
- दुकान निर्माण/संचालन योजना।
- दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान।
- उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा हेतु क्षतिपूर्ति।
- बचपन डे केयर सेन्टर का संचालन।
- विशेष विद्यालयों (ममता/स्पर्श/संकेत/प्रयास) का संचालन।
- विशेष माध्यमिक समेकित विद्यालयों की स्थापना।
- दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा हेतु डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का संचालन।
- डिसलेक्सिया एवं ए.डी.एच.डी पर अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन।